

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

ग्रन्थालय पर अवकाश देने वाली विश्वविद्यालय की ताक में ही जिस तरह एक विद्युत अवकाशकोशी है ऐसा ही। एवं विद्युत विषय पर यह उपर्युक्त विद्यालय की विद्युत अवकाश देना तो यह बहुत एक विद्यालय अवकाश देना जब विद्युत देना है।



पत्र
दिनांक : ०५.०७.२०१२
मुद्रित
दिनांक : १३।०७।२०१२

E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

प्राप्तकारक : एक.लखनऊ/2012/ 5603

दिनांक : १३।०७।२०१२

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xi) के अन्तर्गत कार्यपालिका की कैलंग दिनांक 07 अगस्त, 2012 के पट कांस्ट (16) के विष्याविद्यालय अवकाश उपायकारीतार (विश्वविद्यालय, अवकाश, जिला - नुखेंगा यो सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित एन.एस.-टी. - उत्तराखंड - गृहिणी, बी.सी.ए. - द्वितीय वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में अधिकै. माहिकोवायोलॉजी पाठ्यक्रम के लिये आव्याह उन्नवाहता लिम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. प्रत्येक जोर्से हेतु पाठ्यक्रमानुसार रु. 25,000/- की पुस्तकों की आवश्यकता जारी जाती है।
2. माहिकोवायोलॉजी चर्चा निवारण में रु. 50,000/- के प्रत्येकल हेतु आव्याह उपायकारी ने चर्चा एवं आव्याह उपायकारी संभवतया खरीदे जाते हैं।

आव्याहक
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, अवकाश उपायकारीतार (विश्वविद्यालय, अवकाश, जिला - नुखेंगा)
2. अनुकूल, गण्डप्रधेस शासन, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखंड भाजा, जीपाता।
3. शोरीय जिलाधिकारी संचालक, गण्डप्रधेस शासन, उच्च शिक्षा विभाग, नारायणगढ़-गंगल संभाग, जीपी जल्ल चारिसर, ज्वालियर।
4. उप-उपायकारी (परीक्षा/नोवलीज) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा नाल कांस्ट-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

सहायक कुलसचिव (उन्नवाहता)